

राजस्थान – सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2023/2024/145 दिनांक : 12/06/2024

–: आदेश :-

निम्न लिखित सेवारत चिकित्सक का उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी/एमसीएच कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० पारूल मीना	03.12.1993	22.12.2020	स्त्री एवं प्रसूति रोग	18.11.23 से 17.11.26
2	डॉ० मधु	01.07.1994	28.03.2020	स्त्री एवं प्रसूति रोग	01.11.23 से 31.10.26
3	डॉ० राजेश कुमार	23.10.1994	28.03.2020	टीबी एण्ड चेस्ट	01.11.23 से 31.10.26
4	डॉ० बृजेश गैसका	01.01.1985	09.10.2013	स्त्री एवं प्रसूति रोग	17.12.22 से 16.12.25
5	डॉ० ज्योति	25.12.1989	29.08.2018	पैथोलोजी	01.11.23 से 31.10.26
6	डॉ० सिद्धार्थ अग्रावत	17.05.1994	21.12.2020	सर्जरी	27.10.23 से 26.10.26
7	डॉ० शीतल व्यास	02.03.1993	22.12.2020	ईएनटी	01.11.23 से 31.10.26
8	डॉ० श्वेता सिंह पूनियॉ	24.04.1996	18.06.2021	स्त्री एवं प्रसूति रोग	01.11.23 से 31.10.26

आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी/एमसीएच कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० आशुतोष शर्मा	30.01.1995	18.06.2021	निश्चेतन	01.11.23 से 31.10.26
2	डॉ० अमित कुमार मील	09.02.1990	02.06.2016	अस्थि रोग	01.11.23 से 31.10.26

पं. दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज चूरु

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० सौरभ तिवारी	17.06.1988	19.07.2017	पैथोलोजी	24.10.23 से 23.10.26

उक्त आदेश पूर्व में अध्ययन अवकाश का लाभ प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में ही मान्य होगा एवं अग्रिम कार्यवाही से पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय अध्ययन अवकाश की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर लेवें।

उक्त आदेश राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.07.2022 के अनुसरण में जारी किये गए हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

कमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2023/2024/145

दिनांक : 12/06/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
6. कार्यालय अधीक्षक एटीसी/डीपीसी सैल, राजपत्रित मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
8. रक्षित/निजी पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य  
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref  
7973932

Document certified by RAVI PRAKASH  
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI  
PARKASH MATHUR  
Designation: Director  
Date :12-06-2024 12:29:21